

परिषद/क्षेत्र समिति वपत्र संख्या 5 (नियम 41 देखिये)	00	
स्टैंड कार्ड पर प्रिंट केवल से लिया जायेगा)	00	जिला परिषद/जिले के नाम सहित क्षेत्र समिति के नाम का सफ़ा स्टाम्प
जिले के नाम सहित क्षेत्र समिति के नाम का सफ़ा स्टाम्प	00	
सूची संख्या	00	सही संख्या
399188	00	399188
सूची के अनुसार भूदानकर्ता का नाम	00	
136 मजरी - शिवगंगा चौक	00	
सूची के अनुसार रसम वसूल की गई प्रमाणी	00	
बका मजरी 5000 रु. के हिसाब से	00	
सूची के अनुसार किस मजरी वसूल की गई	00	
136 मजरी - शिवगंगा चौक	00	
सूची के अनुसार का-समाहर्ता का नाम जिले	00	
का-समाहर्ता (दिए गए बलेसमा)	00	
सूची के अनुसार	00	
इस कुल को जमा करने वाले	00	
सूची के अनुसार	00	
अधिकारी का नाम तथा पदनाम	00	
3/6/11	00	
3-01 जिला पंचायत-31-10-2009-5.000 रु. का भुगतान	00	
अधिकारी का नाम तथा पदनाम	00	
3/6/11	00	

बुध भुक्त अधिकारी
शिवगंगा चौक

कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी साधारनपुर।
पत्र सं० - 15 सी०एफ०सी०-एन०सी०सी०/०११ दिनांक - 01-04-2011
सेवा में प्रबन्धक/साथी ए०आर०सी० कार्लेज ऑफ मैनेजमेन्ट एन्ड टेक्नोलॉजी नागलखेड़ी, साधारनपुर।

विषय - प्रस्तावित/निर्मित बिल्डिंग प्लान ए०आर०सी० कार्लेज ऑफ मैनेजमेन्ट एन्ड टेक्नोलॉजी नागलखेड़ी, साधारनपुर के कारवाय नं० 185 जिसका कुल प्लॉट एरिया 4200.00 वर्ग मी०, कवर्ड एरिया फ्लॉट परीर 566.91 वर्ग मीटर कवर्ड एरिया फ्लॉट परीर 566.91 वर्ग मीटर कवर्ड एरिया सीकेन्ड फ्लॉट परीर 566.91 वर्ग मीटर, ओपन एरिया 1700.00 वर्ग मीटर प्रस्तावित है, को अस्थायी अनपडित प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ - आवका प्रार्थना पत्र दिनांक 18.03.2011।

सूचना उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के साथ सारंग्न मानचित्र/साईट प्लान के अनुसार प्रभावी अग्निशमन अधिकारी, साधारनपुर की निरीक्षण अवस्था दिनांक 08.04.2011। एक प्रस्तावित/निर्मित स्वतः अग्नि सुरक्षा दृष्टि कोण से सम्बन्ध जनक है तथा भवन स्वतः तक किसी आपदा स्थिति में अग्निशमन वाहन आसानी से आ जा सकते है। भवन के अन्दर सभी स्थायी इन्सुलेशन व काली सुरक्षा व्यवस्था अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा अधिनियम 2005 व मेकनल बिल्डिंग कोड ऑफ इन्डिया-2005 के पार्ट-4 फायर एवं सेफ्टी की टेबल 23 के दूज-सी० ए०ए०के०ए० बिल्डिंग में निर्हित अग्निशमनक प्राकियानुसार जैसे फायर एक्स्टिंग्यूअर, फायर हीजरेल, टैरेसटिक क्षमता 5000 ली० टैरेसटिक क्षमता 4500 ली० प्रति मिन्ट स्थापित किया जाये। भवन में मैनुअली ऑपरेटिक इलेक्ट्रिक फायर अलार्म सिस्टम लगाना है। सीट बैंक में किसी प्रकार का निर्माण न किया जाये। इसकी हमेला उपरोक्त स्थित रखी जाये। साथ ही भवन में फायर एग्जिट एवं सी०ए० सिस्टम का प्राकियान किया जाये।

भवन में अग्नि सुरक्षा प्रभावी की व्यवस्था हेतु मेकनल बिल्डिंग कोड ऑफ इन्डिया 2005 के पार्ट 3 व 4 का पालन सुनिश्चित किया जाये। यदि इसमें किसी प्रकार का अधिपान किया जाता है तो निर्गत प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

मकान निर्माण होने के उपरान्त प्रस्तावित उपरोक्त समस्त अग्निरामन व्यवस्था को सदैव कार्यशील दशा में बनाये रखना निरन्तर आवश्यक होगा । ताकि मानकों के अनुरूप निरीक्षण/परीक्षण कर प्राथमिक अग्निरामन व्यवस्था (चूल्हों) के प्राविधान के बाद ही त्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जायेगा ।

अतः उक्त मकान निर्माण हेतु अंकित प्रतिबन्धों के आधार पर अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है ।

सहस्र - अनुमोदित मानचित्र



प्रतिलिपि: कार्यकारी अधिकारी जिला पंचायत सहारापुर

को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।